"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2010— पौष 18, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

मैं रामस्वरूप खटीक आत्मज श्री बारेलाल खटीक, उम्र 47 वर्ष, साकिन एवं तह. राजनगर जिला छतरपुर (म. प्र.) का मूल निवासी हूं, पेशा नौकरी मत्स्योद्योग विभाग जिला कोरबा में मत्स्य निरीक्षक पद पर पदस्थ हूं जो कि शपथपूर्वक कथन करता हूं कि मैं अपना पूर्व नाम रामस्वरूप खटीक को बदल कर उपनाम रामस्वरूप पीपर लिखने लगा हूं तथा मैं अपने सभी विभागीय दस्तावेजों एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में भी खटीक के स्थान पर उपनाम पीपर के रूप में दर्ज करा रहा हूं. अत: आज दिनांक से मुझे भविष्य में रामस्वरूप खटीक के स्थान पर रामस्वरूप पीपर के नाम दर्ज किया जावे तथा पढ़ा एवं लिखा जावे और पहचाना जावे. उक्त जानकारी शपथपूर्वक हस्ताक्षरित कर सत्यापित करता हूं.

पुराना नाम
रामस्वरूप खटीक
आत्मज-श्री बारेलाल
मत्स्य निरीक्षक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऊपर,
मेन मार्केट पाली,
जिला-कोरबा (छ. ग.)

नया नाम
रामस्वरूप पीपर
आत्मज-श्री बारेलाल
मत्स्य निरीक्षक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऊपर,
मेन मार्केट पाली,
जिला-कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जितेन्द्र कुमार आत्मज श्री पुरूषोत्तम लाल देशमुख, उम्र 24 वर्ष, निवासी आमापारा कालोनी बालोद, तहसील बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के के साथ अपना, उपनाम देशमुख जोड़कर अपना नाम जितेन्द्र देशमुख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जितेन्द्र कुमार देशमुख आत्मज श्री पुरूषोत्तम लाल देशमुख के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
जितेन्द्र कुमार	जितेन्द्र कुमार देशमुख
आत्मज-श्री पुरूषोत्तम लाल देशमुख	आत्मज-श्री पुरूषोत्तम लाल देशमुख
निवासी-आमापारा कालोनी बालोद	निवासी-आमापारा कालोनी बालोद
तहसील-बालोद	तहसील-बालोद
जिला-दुर्ग (छ. ग.)	जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2009

प्रारूप क्र. - 5
[देखे नियम -5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 39) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) द्वारा]

क्रमांक/2228/पं. लो. नि./09.— अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की-2 की उप धारा(4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है :-

अब इसलिए मैं संजय अग्रवाल, लोक न्यासों का पंजीयक राजनांदगांव जिला राजनांदगांव मेरे न्यायालय में दिनांक 11 दिसम्बर 2009 के दिवस शुक्रवार पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उप धारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति का सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	बैजनाथ नर्बदी रतेरिया स्मृति पुण्यार्थ ट्रस्ट राजनांदगांव, श्री नथमल आ. स्व. महादेव लाल अग्रवाल बल्देव बाग राजनांदगांव ट्रस्टी.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2009

प्रारूप क्र. - 5

[देखे नियम -5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) द्वारा]

क्रमांक /2310/पं. लो. नि./09.—अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की-2 की उप धारा(4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है :-

अब इसलिए मैं संजय अग्रवाल, लोक न्यासों का पंजीयक राजनांदगांव जिला राजनांदगांव मेरे न्यायालय में दिनांक 26 दिसम्बर 2009 के दिवस शनिवार पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उप धारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति का सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए, और मेरे समथ उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	सृजन संवाद द्वारा सचिव एवं कलेक्टर राजनांदगांव
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2009

आ. क्रमांक/मा. चि./2009/717.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शित प्रतापपुर परिक्षेत्र के परिसर परसवार का बीट हैमर श्री मुरलीधर जायसवाल, वनपाल परिसर प्रभारी पसरवार द्वारा दिनांक 21-09-2009 को बीट भ्रमण के दौरान उक्त हैमर कहीं गिर गया है, जो आज दिनांक तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना प्रतापपुर में दर्ज की जा चुकी है.

वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा बीट हैमर को वनमण्डल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में अथवा वनमण्डल कार्यालय उत्तर सरगुजा में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग करते पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा बीट हैमर की कीमत 800.00 (रुपये आठ सौ मात्र) श्री मुरलीधर जायसवाल वनपाल से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं, साथ ही हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी/लापरवाही बरतने के कारण श्री मुरलीधर जायसवाल वनपाल को गंभीर चेतावनी दी जाती है.

अमरनाथ प्रसाद,
वनमण्डाधिकारी.

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चांपा (छ.ग.)

चांपा, दिनांक 8 दिसम्बर 2009

आ. क्र./स्था./422.—श्री नरसिंग राज, वनरक्षक को दिनांक 01-06-2009 से दिनांक 08-12-09 तक की अवधि में कुल 06 माह 08 दिन तक बिना अनुमति बिना आवेदन अथवा बिना पूर्व सूचना के अपनी स्वेच्छा से शासकीय कर्तव्य से फरार रहने के फलस्वरूप पेंशन नियम 27 शासकीय सेवा में व्यवधान किये जाने तथा छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3/7 तथा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 का स्पष्ट उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने एवं उनके द्वारा किसी प्रकार से इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रों एवं प्रकाशित विज्ञप्ति के बाद भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये उन्हें दिनांक 08-12-2009 से उनकी शासकीय सेवा की समाप्ति (Removal from Service) की शास्ति का दण्ड देते हुए उनकी शासकीय सेवा को दिनांक 08-12-2009 से समाप्त की जाती है. श्री राज, वनरक्षक के शासकीय कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि दिनांक 01-06-09 से दिनांक 08-12-09 तक की अवधि में कुल 06 माह 08 दिन को अवैतनिक मान्य किया जाता है. पेंशन नियम 24 के तहत शासकीय सेवक का सेवा अथवा पद से पदच्युति एवं पृथक्करण किए जाने पर उसकी पूर्व सेवा का स्वत: हरण हो जाता है, नियम में प्रावधानित होने की दशा में श्री नरसिंग राज के शासकीय सेवा की समाप्ति के पश्चात् शासन द्वारा देय उपादान, पेंशन संबंधी तथा अन्य देय राशि की पात्रता नहीं होगी.

देबाशीष बैनर्जी,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2159.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/813/बिलासपुर, दिनांक 3-7-06 के तहत जय मां काली सह. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित, इंदिरानगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3600 दिनांक 17-2-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, सह. निरी. सहकारिता विस्तार अधिकारी, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.